न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2015 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 22.09.2015
G.C.M.S. NO. :- 2015/00048

1–लालूराम पिता रामा जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी राईंगपुरिया, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़
2–भेरा पिता किशना जी जाति मेघवाल मृत्तक के बजाएः–
2/1–मुन्नाबाई पुत्री भेरा जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी राईंगपुरिया, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़
3–रामलाल पिता भागू जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी राईंगपुरिया, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़
4–भैरूलाल पिता भागू जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी राईंगपुरिया, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़
5–अम्बालाल पिता कालू जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी राईंगपुरिया, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़
6–श्रीमति नाथीबाई पुत्री भेरा जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी राईंगपुरिया, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़
7–श्रीमति शांतिबाई पत्नि बगदीराम जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी राईंगपुरिया, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थीगण

बनाम

1–शंकर पिता धन्ना जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी राईंगपुरिया, तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़
2–सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं भूआवंटन कमेटी, निम्बाहेड़ा बमिसल क्रमांक 26/1970 आवंटन दिनांक 12.09.1975

उपस्थितिः–1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री सत्यनारायण ईनाणी अधिवक्ता वि. सं. 1

प्र. सं. 17/2015 (रा.प्रा.पत्र)
लालूराम मेघवाल निवासी राईंगपुरिया तहसील बडीसादडी वगैरा बनाम शंकर मेघवाल निवासी राईंगपुरिया तहसील बडीसादडी वगैरा

निर्णय

दिनांक 17.06.2022

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी को मौजा राईंगपुरिया तहसील बडीसादडी की साबिक आराजी नम्बर 75 रकबा 5 बीघा भूमि जिसके नवीन आराजी नम्बर 121 रकबा 1.08 हैक्टेयर भूमि भू आवंटन कमेटी द्वारा बिना किसी जांच पड़ताल के विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कर दी। उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी का कभी भी कब्जा-काश्त नहीं रहा है बल्कि उक्त भूमि पर आवंटन के पूर्व ही प्रार्थीगण के मकानात एवं बाडे बने हुए हैं। विपक्षी ने आवंटन शर्तों के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की हैं जिससे विपक्षी संख्या 1 का आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण ईनाणी ने अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार है। संबंधित भूआवंटन पत्रावली तलब करने पर पत्रावली जाया होने की सूचना प्राप्त हुई। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत नहीं करके प्रकरण में सीधे ही बहस किए जाने हेतु निवेदन किया। अतः बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा राईंगपुरिया की साबिक आराजी नम्बर 75 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा भूमि आबादी हल्का से लगी हुई है जिसमें से 5 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण के मकानात एवं बाडे आवंटन से पूर्व ही बने हुए हैं जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त प्रार्थीगण के कब्जे की भूमि को विपक्षी संख्या 1 ने अपनी आवंटनशुदा आराजीयात बताकर उसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करवा लिया तथा विपक्षी संख्या 2 से मिलीभगत कर गलत रिपोर्ट के आधार पर गलत तरीके से उक्त भूमि को अपने नाम आवंटन करवा

प्र. सं. 17/2015 (रा.प्रा.पत्र)
लालूराम मेघवाल निवासी राईंगपुरिया तहसील बडीसादडी वगैरा बनाम शंकर मेघवाल निवासी राईंगपुरिया तहसील बडीसादडी वगैरा

लिया जो निरस्त योग्य है। उक्त आराजीयात आबादी भूमि होकर ग्राम पंचायत किरतपुरा ने उस पर आबादी भूमि के पट्टे जारी कर रखे हैं जो पट्टे आज तक प्रभावी हैं ऐसी स्थिति में उक्त भूमि कृषि भूमि नहीं होकर आबादी भूमि है एवं आबादी के उपयोग-उपभोग में चली आ रही है। विपक्षी संख्या 1 का उक्त आवंटित आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा न ही आवंटन शर्तों की पालना की है जिससे उक्त आवंटन अपने आप अवैध होकर निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ भू आवंटन कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी को भू आवंटन पूर्णतया विधि अनुसार संपूर्ण जांच के बाद हुआ है। ग्राम राईंगपुरिया तहसील बडीसादडी की साबिक आराजी नम्बर 75 रकबा 19.4 बीघा भूमि में से 5 बीघा भूमि जिसको विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की पात्रता रखने के कारण आवंटन किया गया। कोई कृषि योग्य भूमि जो आबादी भूमि से लगी हुई होने पर उसके आवंटन हेतु कोई रोक नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त साबिक आराजी नम्बर 75 रकबा 19.4 बीघा में से 5 बीघा पर मकानात बने होकर कब्जा होना बताया है किन्तु उक्त 5 बीघा भूमि 19.4 बीघा भूमि में कहां स्थित है यह सिद्ध नहीं किया है। विपक्षी/आवंटी ने काफी धन एवं अंग मेहनत कर भूमि को नियमानुसार निश्चित समयावधि मे काश्त कर उपजाऊ बनाया, जिससे आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण धारा 14(4) की परिधि मे नहीं आता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में मौजा राईंगपुरिया तहसील बडीसादडी की साबिक आराजी नम्बर 75 रकबा 19.4 बीघा भूमि में से 5 बीघा भूमि जो कि विपक्षी संख्या 1 को भू आंवटन कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा आवंटित की गई है जिसका आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पत्रावली में उपलब्ध फोटोग्राफ, बहस, प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि

साबिक आराजी नम्बर 75 रकबा 19.4 बीघा भूमि थी प्रस्तुत फोटोग्राफ किस लोकेशन के हैं यह प्रमाणित नहीं होता।

साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त आराजीयात कृषि भूमि नहीं होकर आबादी भूमि में स्थित हो तथा ग्राम पंचायत किरतपुरा द्वारा उक्त भूमि पर आबादी भूमि के पट्टे जारी करने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपना कब्जा/मकानात भी आवंटन से पूर्व के बने हुए हो यह भी साबित करने में विफल रहे हैं।

विपक्षी संख्या 1 को उक्त आवंटन वर्ष 1971 में भूआवंटन कमेटी एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के मिसल क्रमांक 26/70 दिनांक 12.01.71 से होकर आदेश क्रमांक/रा 86/207 दिनांक 11.06.1986 द्वारा वर्ष 1986 में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1 एक रिकॉर्डेड खातेदार बन चुका है एवं आवंटन के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा ऐसे कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे यह साबित हो सके कि आवंटन नियमों के विरूद्ध किया गया हो।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)